पत्र सं0-विधि-4 (1) परिपत्र पत्रावली भाग-3/2014-15/ 1693/1415129 — 16-3-2015 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(विधिअनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :दिनांक :: 10/03/2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.08.2014 से कर निर्धारण की प्रक्रिया आन लाइन कर दी गयी है । विभाग में अपीलीय अभिलेखों के रखरखाव एवं अपीलीय कार्य को सुविधाजनक तथा कार्य कुशल बनाने हेतु अपील माड्यूल का निर्माण किया गया है । यह माड्यूल विभागीय व्यास सर्वर पर उपलब्ध है, जिसका address http/10.220.5.244/vyasappeal है, जिसके लिए निम्न प्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(क) **Central Operator Login**

अपील माड्यूल में सेन्ट्रल आपरेटर एवं मुन्सरिम के दो Login हैं। सेन्ट्रल आपरेटर द्वारा समस्त अपील संबंधी आवेदनों की entry करके पावती रसीद जनरेट की जायेगी जिसके पश्चात मुन्सरिम के द्वारा इस प्रकार प्राप्त आवेदनों में अग्रिम कार्यवाही साफ्टवेयर में ही सम्पादित की जायेगी।

- सेन्ट्रल आपरेटर के द्वारा सर्वप्रथम ब्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से यूजर Create कराया जायेगा। यूजर Create करने पर पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS हो जायेगा।
- ब्यास सेन्ट्रल पर Login करने पर उपलब्ध Menu Option में Appeal के Link पर Click करने पर Appeal Module से सम्बन्धित विकल्प उपलब्ध हो जायेगा।
- New appeal पर Click करने पर Blank फार्म खुलता है, जिसमें उपलब्ध विभिन्न Entry Field में प्रविष्टियॉ की जानी है। ऐसे कर निर्धारण आदेश, जो online किये गये हैं यदि उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है तो उस आदेश का R-5B के नम्बर की प्रविष्टियॉ करते ही स्वत: कार्यालय आदेश की तिथि, व्यापारी का नाम, टिन नम्बर आदि प्रविष्टियॉ अंकित हो जायेंगी।
- ऐसे आदेश जो online नहीं किये गये हैं तथा इस प्रणाली के लागू होने के पूर्व के हैं, उनके विरुद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलकर्ता का नाम, पता, टिन नम्बर, आदेश की तिथि एवं अन्य आदि प्रविष्टियॉ की जायेंगी।
- इसके अतिरिक्क्त अपील का चालान संख्या, दिनांक, स्टैम्प फी, अधिवक्ता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अपील मेमो के साथ संलग्न विभिन्न प्रार्थनापत्र आदि की प्रविष्टि का भी option (विकल्प) रखा गया है। समस्त प्रविष्टि करने के उपरान्त Submit करने पर यदि समस्त प्रविष्टियॉ सही की गयी हैं, तो Final Submit का option आयेगा, जिस पर Click करने पर अपील प्रस्तुत किये जाने के बाद syaha के क्रमांक सहित रसीद generate होगी जिसे अपीलकर्ता को प्राप्त कराया जायेगा । इससे सम्बन्धित syaha रजिस्टर उपलब्ध रहेगा। यदि Module में कोई Mandatory Field की प्रविष्टि किये जाने से रह जाती है तो Submit के option पर Click करने के उपरान्त Final Submit

का option उपलब्ध नहीं होगा।

(ख) **मुन्सरिम Login :**

- मुन्सरिम के द्वारा सर्वप्रथम ब्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से यूजर Create कराया जायेगा। यूजर Create करने पर पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS हो जायेगा।
- ब्यास सेन्ट्रल पर Login करने पर उपलब्ध Menu Option में Appeal के Link पर Click करने पर Appeal Module से सम्बन्धित विकल्प उपलब्ध हो जायेगा। मुन्सरिम को अपीलीय कार्यालय से संबंधित प्रस्तुत समस्त अपीलों का syaha रजिस्टर उपलब्ध होगा।
- पूर्व से निर्मित Syaha रजिस्टर के सम्बन्ध में दूषित अपील एवं नियमित अपील का option उपलब्ध होगा । Syaha रजिस्टर के किसी भी स्याहा नम्बर पर Click करने पर Defective एवं Regular अपील का option खुलेगा।
- यदि अपील Defective है तो Defective के option पर Click किया जायेगा। Defective अपील के option पर Click करते ही यह अपील दूषित अपील के रजिस्टर में दर्ज हो जायेगी। Defective बाक्स के नीचे listing के नीचे Listing date का विकल्प उपलब्ध होगा जिसमें दिंनाक अंकित होगी ।
- यदि अपील Regular है तो Regular अपील के option पर Click करने पर Syaha से वह अपील Regular अपील के रजिस्टर में दर्ज हो जायेगी तथा अपील सुनवाई की तिथि अंकित करने पर नोटिस generate हो जायेगा।
- मुन्सरिम के Login पर Defective अपील को Regular किये जाने का भी option भी उपलब्ध होगा। Defective अपील के रजिस्टर में उस अपील पर Click करने पर अपील Regular हो जायेगी और स्वत: Regular अपील में दर्ज हो जायेगी।
- मुन्सरिम के Login पर Stay एवं अपील Disposal अंकित किये जाने का भी option उपलब्ध होगा। Stay प्रार्थनापत्र का निस्तारण होने पर मुन्सरिम उसकी प्रविष्टि संबंधित साफ्टवेयर में करेंगे और विवरण स्वत: Stay Register में अंकित हो जायेगा। अपील के Disposal के उपरान्त मुन्सरिम द्वारा संबंधित विकल्प का चयन करते हुए इसकी प्रविष्टि की जायेगी। यह अपील Disposed अपील के Register में अंकित हो जायेगी।

उपरोक्तानुसार विभिन्न प्रकार के Register जैसे Syaha Register, Defective अपील का रजिस्टर, Regular अपील का रजिस्टर , Stay प्रार्थना-पत्र Disposal का रजिस्टर एवं अपील disposal रजिस्टर appeal module से ही बनाये जायेंगे। यह व्यवस्था सभी अपीलीय कार्यालयों में दिनांक 31.03.2015 तक वैकल्पिक रुप से तथा दिंनाक 01-04-2015 से अनिवार्य रुप से अनियार्य रुप से लागू होगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9.3.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।